# बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

समस्तीपुर नगर परिषद् में नियुक्ति/ प्रोन्नति में अनियमितता बरती गयी है। प्रधान सहायक सह लेखापाल पद पर पदस्थापित व्यक्ति द्वारा नियमों की अनदेखी कर अनियमितता बरती जा रही है। कनीय अभियंता नगर परिषद्, समस्तीपुर में एक पद की जगह दो-दो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं और भुगतान पा रहे हैं। सन् 1992-93 में टैक्स दरोगा की नियुक्ति तब हुई जब बोर्ड अवक्रमित था। सन् 1994 में भी आठ व्यक्तियों की नियुक्ति हुई जिस पर अंकेक्षण दल द्वारा आपत्ति की गयी है। आपत्ति का निराकरण आज तक नहीं किया गया है साथ ही गलत भुगतान लगातार जारी है। सन् 2000 में माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम न्याय निर्णय का दुरूपयोग कर पांच व्यक्तियों की नियुक्तियां की गयी हैं, जिसमें यह परिलक्षित होता है कि माननीय उच्च न्यायालय की भी अवमानना की गयी है।

अत: उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में नगर परिषद् समस्तीपुर में की गयी नियुक्ति/ प्रोन्नति इत्यादि की उच्चस्तरीय जांच कर अविलंब यथोचित कार्रवाई करने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- हरिनारायण चौधरी,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 138/2017– 570 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 25.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ पंचायती राज विभाग, बिहार/ सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 30.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

# बिहार विधान परिषद्

## ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

पटना जिला के सम्पतचक प्रखंडान्तर्गत थाना-रामकृष्णानगर, ग्राम- आशोचक में कुम्हरार निवासी श्री धीरेन्द्र कुमार, पिता- स्व. दयानंद यादव की जमीन जिसका महाल- शेखोपुर, थाना नं.-114, तौजी नं.-609, खाता नं.-58, वार्ड नं.-46, रकवा-6 कट्ठा है, पर रामकृष्णा नगर थानाध्यक्ष एवं अंचलाधिकारी, सम्पतचक तथा स्थानीय कुछ दबंगों द्वारा मिली भगत से जबर्दस्ती रास्ता निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में जमीन की मापी हेतु अनुमंडलाधिकारी, पटना सदर, डी.सी.एल.आर., पटना सदर द्वारा उक्त जमीन की मापी हेतु आदेश दिया गया है परंतु अभी तक अंचलाधिकारी द्वारा आना-कानी की जा रही है। जिससे भू-माफिया, थानाध्यक्ष एवं अंचलाधिकारी, सम्पतचक उक्त जमीन पर जबर्दस्ती रास्ता निकालने पर आमादा है। इस संबंध में जिला बैठक में जिलाधिकारी, पटना को भी अवगत कराया गया है परंतु अभी तक उक्त जमीन की मापी नहीं हुई है।

अत: वर्णित परिस्थिति के आलोक में जनहित में उक्त जमीन की मापी कराने एवं इसमें संलिप्त पदाधिकारियों एवं भू-माफियों से उक्त जमीन को बचाने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- सूरज नंदन प्रसाद,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 140/2017– 571 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 25.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार/ गृह विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 30.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

( संजय कुमार )
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

# बिहार विधान परिषद्

## ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य के नक्सल प्रभावित जिला में लोगों की सुरक्षा हेतु राज्य सरकार के पुलिस के अलावा केन्द्रीय सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। केन्द्र एवं राज्य की पुलिस अपनी जान पर खेलकर लोगों को सुरक्षा देती है, परन्तु राज्य सरकार के पुलिस बल को वो अतिरिक्त सुविधाएं नहीं मिलती जो केन्द्रीय सुरक्षा बल को सुविधाएं मिलती हैं। द्रष्टव्य यह है कि समान कार्य के लिए समान वेतन देने का आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारित कर रखा है। फिर भी बिहार पुलिस को केन्द्रीय बल के समरूप सुविधाएं नहीं दिया जा रहा है। इससे पुलिस बलों के मनोबल पर प्रभाव पड़ रहा है।

अतः राज्य के नक्सल प्रभावित जिला में प्रतिनियुक्त बिहार पुलिस बलों को केन्द्रीय बलों के समरूप सुविधाएं यथा मरणोपरान्त परिजन को सुविधा, ऑपरेशन के दौरान घायलों को चिकित्सकीय सुविधा तथा अन्य सुविधाएं देने के लिए सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- दिलीप कुमार चौधरी,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 139/2017– 572 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 25.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ गृह विभाग, बिहार/ वित्त विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 30.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

( संजय कुमार )
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

# बिहार विधान परिषद्

## ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

बेगूसराय जिला में पिछले वर्ष आयी बाढ की विपदा एवं अग्नि आपदा से जिला के विभिन्न प्रखंडों में डूबने एवं जलने से 23 लोगों की मौत हो गयी थी। इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा सरकार को लंबित अभिलेख की सूची समर्पित की जा चुकी है। घटना के लगभग दस माह बीतने के बाद भी अब तक बाढ़ में डूब कर मरने एवं अग्नि आपदा में जल कर मरने वालों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान राशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है, जिसके कारण मृतक के परिजनों में सरकार के प्रति भारी आक्रोश व्याप्त है।

अत: बाढ़ एवं अग्नि आपदा में मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि उपलब्ध कराने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- राजनीश कुमार,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 137/2017– 573 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 25.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार/ गृह विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 30.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

# बिहार विधान परिषद्

## ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

जिला कृषि पदाधिकारी, कैमूर(भभुआ) द्वारा सरकार द्वारा दिए जाने वाले सब्सिडी वितरण में घोर अनियमितता की शिकायत की जा रही है। इस अधिकारी की अकर्मण्यता, लापरवाही, मनमानापन एवं भ्रष्ट आचारण के कारण जिला के किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। किसान सलाहकार समिति के सदस्यों को मनमाने तरीके से निलंबित एवं पदच्यूत करने की शिकायत भी आई है। यह अधिकारी कई वर्षों तक उसी जिला में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के प्रभार में भी रहे हैं और इस पद पर रहते हुए भी उनके विरूद्ध कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

अत: इस अधिकारी द्वारा किए गए गलत कार्यों की उच्चस्तरीय जांच करवाकर नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- राजकिशोर सिंह कुशवाहा,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 154/2017– 589 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 28.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ कृषि विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 30.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

# बिहार विधान परिषद्

## ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

बिहार सरकार के निबंधन विभाग के निर्णय से गैर न्यायिक मुद्रांक विक्रेताओं के अस्तित्व पर बड़ा संकट पैदा होने वाला है। राज्य में मुद्रांक बेचने की व्यवस्था सरकार होल्डिंग कॉरपोरेशन द्वारा करवाना चाहती है। इस निर्णय से राज्य में मुद्रांक विक्रेताओं की रोजी-रोटी छिन जाएगी, भूखमरी आ जाएगी और वे अपने परिवार का भरण-पोषण करने में असमर्थ हो जाएंगे। इन मुद्रांक विक्रेताओं को वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था किए बिना ही सरकार ऐसे निर्मम कदम उठाने जा रही है।

अत: इन मुद्रांक विक्रेता एवं उनके परिवार के मुंह से रोटी छीनने के पूर्व इनके रोजगार की कोई वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- राधाचरण साह, स.वि.प. एवं
ह./- उपेन्द्र प्रसाद, स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 134/2017– 583 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 27.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 30.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

# बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

10 मार्च, 2017 को सीतामढ़ी/ शिवहर जिला में हुई घनघोर ओला बारिश के कारण लोगों के खपरैल तथा एसबेस्टस के घर एवं खेतों में खड़ी फसल को भारी क्षति पहुंची है। शाम पांच बजे हुई ओला बारिश से मक्का, अरहर, मसूर सहित विभिन्न प्रकार के तेलहन फसलों तथा सब्जियों को भारी नुकसान पहुंचा है। अब तक सरकार द्वारा राहत कार्य शुरू नहीं किया गया है और न हुई क्षति का आकलन ही किया जा रहा है। ओलावृष्टि के कारण सीतामढी/ शिवहर जिला के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अत: इस ओलावृष्टि को प्राकृतिक आपदा घोषित करते हुए तत्काल राहत कार्य उपलब्ध करवाने, क्षति का आकलन करवाकर प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- दिलीप राय,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 136/2017– 584 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 27.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार/ कृषि विभाग, बिहार/ गृह विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 30.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

# बिहार विधान परिषद

## ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

सर्वपल्ली राधाकृष्णन महान शिक्षाविद् एवं पूर्व राष्ट्रपति के जन्मदिन पर आयोजित होने वाला शिक्षक दिवस समारोह के अवसर पर शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा हेतु राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाता है। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार हेतु शिक्षकों के नाम चयन कर केन्द्र सरकार के पास भेजने की परम्परा है। किसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार के संकल्प को शत-प्रतिशत सफल बनाना शिक्षकों का दायित्व होता है। ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु बिहार से चयनित होनेवाले शिक्षकों हेतु एक नियमावली होगी। मुझे ज्ञात हुआ है कि जिला में शिक्षकों के नाम की अनुशंसा करते समय Objective Assessment नहीं किया जाता है और मनमाने ढंग से शिक्षकों के नाम की अनुशंसा की जाती है। Objective Assessment हेतु जिला में कोई प्रणाली विकसित नहीं है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा मनमाने ढंग से अनुशंसा कर दी जाती है। मेरा मानना है कि बिहार में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु चयन की प्रक्रिया सुचारू ढंग से होनी चाहिए।

अत: राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु बिहार से चयनित होने वाले शिक्षकों की चयन की प्रक्रिया क्या है? पुरस्कार के चयन हेतु कौन से मापदंड बनाए गए हैं, के संदर्भ में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- रणवीर नन्दन
स.वि.प्र.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 135/2017– 585 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 27.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 30.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

**बिहार विधान परिषद** **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

चक्षुदान करने से अनेक जरूरतमंद लोगों को नई ज्योति मिलती है जबकि, जन-जागरुकता, चक्षुबैंक एवं सरकारी सुविधाओं के अभाव के कारण अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार में काफी कम लोग चक्षुदान करते हैं। वर्ष 2015-16 में बिहार में मात्र 30 लोगों ने चक्षुदान किया जबकि अन्य राज्यों यथा तमिलनाडु में 11051, गुजरात में 8436, और तेलंगाना में 6171 लोगों ने चक्षुदान किया।

अत: मैं चक्षुदान हेतु लोगों को जागरुक करने एवं चक्षुदान के लिए राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में चक्षुबैंक सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- आदित्य नारायण पाण्डेय,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 157/2017- 602 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 28.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ स्वास्थ्य विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 30.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

( संजय कुमार )
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद् ।

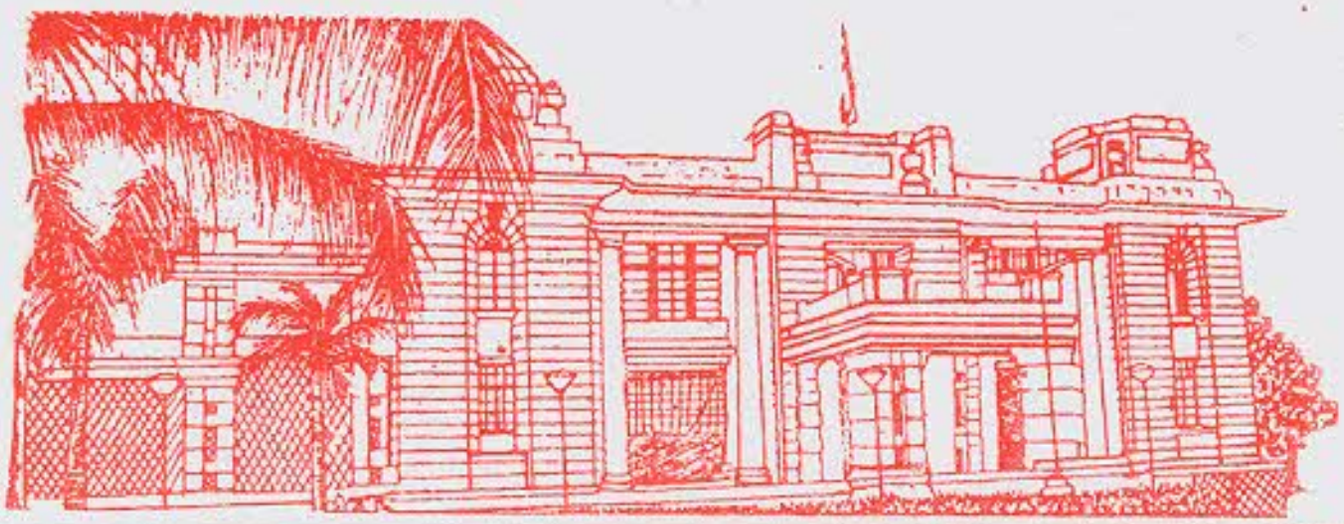

# बिहार विधान परिषद्

## ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित भोजशाला में सेवानिवृत्त कर्मियों को संविदा के आधार पर दैनिक मजदूर के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान है। चूंकि सेवा निवृत्त कर्मियों की उम्र अत्यधिक रहने के कारण वे शारीरिक श्रम नहीं कर पाते।

अत: नियमावली में संशोधन कर सेवानिवृत्त कर्मियों की नियुक्ति संविदा के आधार पर बंद कर नए बेरोजगार युवक, जो भोजशाला में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करते हैं, जिनके पास अनुभव भी है, को स्थायी नियुक्ति करने हेतु सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- दिलीप कुमार चौधरी,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 159/2017– 606 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 29.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री मा. उप मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ श्रम संसाधन विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 30.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।